(Authoritative English Text of this Department Notification No. LCD-A(3)-74/99 dt. 16-06-2011 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.)

Government of Himachal Pradesh
Department of Language Art and Culture

No. LCD-A(3)-74/99 Dated: Shimla-171002, the 16-06-2011.

#### NOTIFICATION

2

In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission is pleased to. make the Recruitment & Promotion Rules, for the post of Junior Technical Assistant (Archives), Class-III (Non-Gazetted) in the Department of Language Art and Culture, Himachal Pradesh, as per Annexure-"A" attached to this notification, namely:-

Short title and 1
Commencement

- (1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Department of Language, Art and Culture, Junior Technical Assistant (Archives), Class-III (Non-Gazetted) Recruitment & Promotion Rules, 2011.
- (2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

Repeal and Savings

- (1) The Himachal Pradesh Department of Language Art and Culture, Junior Technical Assistant (Archive), Class-III (Non-Gazetted) Recruitment & Promotion Rules, 1998 Notified vide notification No. LCD-A(3)18/95 dated 28<sup>th</sup> January 1998 are hereby repealed.
- (2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the rules so repealed under sub rule 2(1) supra, shall be deemed to have been validity made, done or taken under these rules.

By Order

Manisha Nanda Principal Secretary (LAC) to the Government of Himachal Pradesh. No. LCD-A(3)-74/99 Dated: Shimla-171002, 14-6-2011. Copy forwarded to:-

- 1. All Administrative Secretaries to the Govt. of Himachal Pradesh.
- 2. Secretary, H.P. Public Service Commission, Shimla-2, with reference to letter.
- 3. Director, LAC, Himachal Pradesh.
- 4. The Controller, P&S, Himachal Pradesh for favour of Publication in the Rajpatra.
- 5. ALR-cum-Deputy Secretary (Law), H.P. Sectt, Shimla-2.
- 6. 100 spare copies.

Deputy Secretary (LAC) to the Government of Himachal Pradesh.

#### Annexure-A

Recruitment and Promotion Rules for the Post of Junior Technical Assistant (ARCHIVES)(Class -III (Non- Gazetted) in the Department of Language, Art & Culture, H.P.

1	Name of the Post:	Jr. Technical Assistant (Archives)
2.	Number of Post	3 (Three)
3.	Classification	Class-III (Non-Gazetted)
4.	Scale of Pay	<ul> <li>i) Pay scale for regular incumbents: Rs. 10300-34800+3600 Grade Pay.</li> <li>ii) Emoluments for Contract Employees: Rs. 13900/- as per details given in Col. No.15-A.</li> </ul>
5.	Whether selection post or Non selection post	Non-Selection
6.	Age for direct recruitment	Between 18 and 45 years.

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidate already in service of the Government including those who have been appointed on ad hoc or on contract basis:

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis had become overage on the date when he was appointed as such he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his/her such adhoc or contract appointment:

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Caste/Scheduled Tribes /Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order of the Himachal Pradesh Government:

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servants before absorption in Public Sector/Corporations/Autonomous Bodies at the time of initial constitutions of such Corporation/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servant. This concession will not however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/Autonomous bodies and who are/were finally observed in the service of such Corporations/Autonomous bodies after initial constitution of the Public Sector Corporation/Autonomous Bodies.

- Note: (I) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchange as the case may be.
  - (II) Age and experience in the case of direct recruitment is relaxable at the discretion of the H.P. Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.

7	Minimum Educational and other Qualifications required for direct recruits:	<ul> <li>(a) Essential Qualification:-         MA with 2<sup>nd</sup> Division in         History with Modern Indian         History with one of the         Subjects from a recognized         University Institutions.</li> <li>(b) Desirable Qualifications:-         1. Certificate in record         Management from the National         Archives or any other         recognized University/         Instituions.</li> <li>2. Knowledge of customs manners         and dilects of Himachal Pradesh         and suitability for appointment in         the peculiar conditions         prevailing in the Pradesh.</li> </ul>
8.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotees;	Age: Not applicable Educational Qualifications: N.A.
9.	Period of Probation, if any	Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be record in writing.
10.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of posts to be filled in by various methods.	100% by direct recruitment on regular basis or by direct recruitment on contract basis, as the case may be. The contract employee will get emoluments as given in Col. 15-A and will be governed by service conditions as specified in the said column.
11	In case of recruitment by promotion, deputation, transfer, grade from which promotion/deputation/transfer is to be made	Not applicable
12	If a Departmental promotion committee exists, what is its composition?	Not applicable
13	Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.	As required under the Law.

14	Essential requirement for a direct	· · ·
	recruitment	service or post must be a citizen of
		India.
15	Selection for appointment to post	Selection for appointment to the
	by direct recruitment.	post in the case of direct
		recruitment shall be made on the
		basis of viva-voce test if the
		Himachal Pradesh Subordinate
		Services Selection Board, Hamirpur
		or other recruiting agency, as the
		case may be, so consider
		necessary expedient by a written
		test or practical test, the
		standard/syllabus etc. of which will
		be determined by the H.P. S.S.S.
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		Board, Hamirpur other recruiting
<u> </u>		authority, as the case may be
15.A	• •	Notwithstanding anything contained
	post by contract appointment	in these rules, contract
		appointments to the post will be
		made subject to the terms and
		conditions given below:-
		(I) Concept :
		(a) Under this policy the Jr. Technical
		Assistant (Archives) in the
		Department of Language, Art and
		Culture, H.P. will be engaged on
		contract basis initially for one year,
		which may be extendable on year
		to year basis:
		Provided that for
		extension/renewal of contract
		period on year to year basis the
		concerned HOD shall issue a
		certificate that the service and
		conduct of the contract appointee is
		satisfactory during the year and
		only then his/her period of contract
		is to be renewed/extended.
		(b) POST FALLS WITHIN THE
		PURVIEW OF HP PSC/HPSSSB: -
		The Director, Language, Art and
		Culture Deptt. after obtaining the
		approval of the government to fill up
		the vacant posts on contract basis
		will place the requisition with the
		concerned recruiting agency i.e.
		H.P. Subordinate Services
		Selection Board, Hamirpur.
		(c) The selection will be made in
		accordance with the eligibility
		conditions prescribed in these
		Rules.
		(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS:-
		The .Jr. Technical Assistant
		(Archive) appointed on contract
	l	The transfer appointed on contract

basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs.13900/- P.M (which shall be equal to minimum of pay band +grade pay). An amount of Rs. 420/-(3% of the minimum of pay band + grade pay) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

## (III) <u>APPOINTING/DISCIPLINARY</u> <u>AUTHORITY:</u>

The Director, Language, Art and Culture will be appointing and disciplinary authority.

#### (IV) SELECTION PROCESS:

Selection for aplointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of viva-voce test or if consider necessary or expedient by a written practical test or test standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned H.P. recruiting agency .i.e. Subordinate Services Selection Board, HAMIRPUR.

# (V)COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS:

As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. H.P. Subordinate Services Selection Board, Hamirpur from time to time.

#### (VI)<u>AGREEMENT:</u>

After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure "B" appended to these Rules.

#### (VII) TERMS AND CONDITIONS:

(a) The Jr. Technical Assistant (Archives) appointed on contract basis will be paid fixed contractual amount i.e.Rs.13900/- P.M. (which shall be equal to minimum of pay band +grade pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs.420/- /-Rs.(3% of the minimum of pay band + grade pay) for further extended years and no other allied benefits such as senior

- selection scales etc. will be given.
- (b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/ conduct of the contract appointee is not found satisfactory.
- (c) Contract Appointee will be entitled for one-day casual leave after putting one-month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He/she shall not be entitled for Medical reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per Rules.
- (d) Unauthorized absence from duty without approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract Appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.
- (e) An official appointed on contract basis who have completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
- (f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government. / Registered medical Practitioner. Women candidates pregnant beyond twelve weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be reexamined for the fitness from an authorized Medical Officer/ Practitioner.
- (g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as are applicable to regular counterpart official at the minimum of pay scale.
- (h) Provision of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension & Conduct rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract Appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this Column.

16	Reservation	The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled casts/Scheduled Tribes. Other Backward classes/ other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
17	Departmental examination	Not applicable
18	Power to relax	Where the State Govt. is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with H.P.P.S.C. relax any of the provisions of these rules with respect to any class of category of person(s) of post(s).

#### Annexure-"B"

# FORM OF CONTRACT/ AGREEMENT TO BE EXECUTED BETWEEN THE JUNIOR TECHNICAL ASSISTANT (ARCHIVES) AND THE GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH THROUGH DIRECTOR LANGUAGE, ART & CULTURE DEPARTMENT

\_\_\_\_\_ This agreement is made on this ...... day of ...... in the year .......... Sh./Smt ..... between Shri......r/o......r/o..... Contract appointee (Here-in-after called the FIRST PARTY), AND The Governor, Himachal Pradesh through Director, Language, Art & Culture, Himachal Pradesh (here -in-after called the SECOND PARTY). Whereas the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a ...... on contract basis on the following terms & conditions:-1. That the FIRST PARTY Shall remain in the service of the SECOND PARTY as a ...... (Name of the post) for a period of one year commencing on day of ...... and ending on the day of....... It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the ......FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on ------And information notice shall not be necessary: Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/ extended. 2. The contractual amount of The FIRST PARTY will Rs. ..... per month. 3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed /posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract. 4. Contractual .....(Name of the post.) will be entitled for one day casual leave after putting in one month service. This leave can be accumulated upto one year. No leave of any kind is admissible to the contractual......(Name of the post.) . He/She will not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per Rules. 5. Unauthorized absence from duty without approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual......(Name of the Post) Appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty. An official appointed on contract basis who have completed five years tenure at one 6. place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

should be re-examined or the fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

8. Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official at the minimum of pay scale.

Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government. / Registered medical Practitioner. In case of women candidates pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate

7.

9.	The	<b>Employees</b>	Group	Insurance	Scheme	as	well	as	EPF	and	GPF	will	not	be
	appli	cable to con	ıtractual	appointee(s	s).									

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first above written.

N THE PRESENCE OF WITNESS	
(Name and full address)	
N THE PRESENCE OF WITNEES	Signature of the First Party
(Name and full address)	

Signature of the Second Party

## हिमाचल प्रदेश सरकार भाषा कला एवं संस्कृति विभाग

संख्याः एल0सी0डी0.-ए (3)-74/99 तारीख शिमला-2,

16-6-2011.

## अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग में किनष्ठ तकनीकी सहायक (अभिलेखागार) वर्ग—111 (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध—'क' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नित नियम बनाती हैं, अर्थात्:—

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ। 1 (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग, कनिष्ठ तकनीकी सहायक (अभिलेखागार), वर्ग—111 (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नित नियम, 2011 है।
  - (2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।
- निरसन और व्यावृत्तियां । 2 (1) अधिसूचना संख्याः एल0सी0डी0—ए(3)18 / 95 तारीख 28 जनवरी, 1998 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग, कनिष्ठ तकनीकी सहायक वर्ग—111 (अराजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नित नियम, 1998 का एतद द्वारा निरसन किया जाता है ।
  - (2) परन्तु ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप नियम 2(1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,

मनीषा नंदा प्रधान सचिव (भाषा, कला एवं संस्कृति), हिमाचल प्रदेश सरकार । 

- 1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार ।
- 2. महालेखाकार (आडिट) हिमाचल प्रदेश, शिमला-3
- 3. निदेशक (भाषा-संस्कृति) हिमाचल प्रदेश, शिमला-9.
- 4. नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हि0 प्र0 शिमला—5 को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश(असाधारण) में प्रकाशित करने हेतु ।
- 5. वित्तं विभाग (वित्तं विनिमय) हिमाचल प्रदेश सचिवालय, शिमला-2.
- 6. सहायक विधि परामर्शी एवं अवर सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार ।
- 7. संरक्षण नस्ति ।

उप सचिव (भाषा, कला एवं संस्कृति) हिमाचल प्रदेश सरकार ।

----

## भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग हिमाचल प्रदेश में किनष्ठ तकनीकी सहायक (अभिलेखागार), वर्ग—।।। (अराजपत्रित) के पद के भर्ती और प्रोन्नित नियम :

1	पद का नाम :	कनिष्ठ तकनीकी सहायक (अभिलेखागार)
2	पदों की सख्या :	3 (तीन)
3	वर्गीकरण:	वर्ग –III (अराजपत्रित)
4	वेतनमानः	i) नियमित पदाधारियों के लिए वेतनमानः 10300—34800+3600 रूपये ग्रेड पे ii) संविदा कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां 13900 / — रूपये स्तम्भ संख्याः 15—क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार ।
5	चयन पद अथवा अचयनः	अचयन।
6	सीधी भर्ती के लिए आयु :	18 से 45 वर्ष ।

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए उपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी:

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु को हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविधा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए, ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी, जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेशों के अधीन अनुज्ञय है ;

परन्तु यह और कि पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों / स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु की सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी, जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सैक्टर निगमों / स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारी वृन्द को नहीं दी जाएगी जो पश्चातवर्ती ऐसे निगमों / स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे / किए गए हैं और उन पब्लिक सैक्टर निगमों / स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात निगमों / स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं / किए गये थे।

- (1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी, जिसमें कि पद (पदों) को आवेदन आमंन्त्रित करने के लिए यथा स्थिति विज्ञापित किया जाता है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया जाता है।
- (2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यार्थियों की दशाँ में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव, आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा।

7	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं :	1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से इतिहास विषय में आधुनिक भारतीय इतिहास के एक पेपर सहित इतिहास में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर की उपाधि । (ख) वांछनीय अहर्ता :- ।) राष्ट्रीय अभिलेखाकार या अन्य किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से अभिलेख प्रबन्धन में प्रमाण पत्र । 2) हिमाचल प्रदेश के रीति—रिवाजों और बोलियों का ज्ञान तथा प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट परिस्थितियों में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता ।
8	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नही:	आयु : लागू नहीं । शैक्षिक योग्यताः लागू नहीं ।
9	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो :	दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे ।
10	भर्ती की पद्धति— भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता :	संविदा पर नियुक्त कर्मचारी स्तम्भ संख्या 15–क
11	प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण किया जाएगाः	लागू नहीं ।
12	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना	लागू नहीं ।
13	भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगाः	जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो ।

14	सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा :	किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।
15	सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन :	सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा यदि यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम, आदि यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड आयोग, हमीरपुर /अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।
15—क	संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन :	इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएंगी :—
		() संकल्पनाः इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग में किनष्ट तकनीकी सहायक (अभिलेखागार) को संविदा के आधार पर, प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा:  परन्तु वर्षानुवर्ष के आधार पर संविदा की अवधि में विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण, वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है, और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि का विस्तारण/नवीकरण किया जाएगा।  ख) पद का हि०प्र० अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र में आना:— निदेशक, भाषा एवं संस्कृति विभाग रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यपेक्षा को भर्ती अभिकरण अर्थात हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड,हमीरपुर के समक्ष रखेगा।  ग) चयन, इन नियमों में यथाविहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

## (II) <u>संविदात्मक उपलब्धियां</u>

संविदा के आधार पर नियुक्त किनष्ठ तकनीकी सहायक (अभिलेखागार) को 13900/—रूपए की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक का विस्तारण किया जाता है, तो पश्चात्वर्ती वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 420/—रूपए की रकम (पद के पे बैण्ड जमा ग्रेड पे के न्यूनतम का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

## (III) <u>नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी</u>:

निदेशक, भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी होगा।

#### (IV) चयन प्रक्रिया:

संविदा नियुक्ति के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि, आवश्यक या समीचीन समझा जाए, तो लिखित या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा अवधारित किया जाएगा।

## (V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति : जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल

जसा सम्बद्ध मता आनकरण अथात् ।हमायल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा समय–समय पर गठित की जाए।

## (VI) करार:

अभ्यर्थी को चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबधं—ख के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा ।

### (VII) निबन्धन और शर्ते :

क) संविदा के आधार पर नियुक्त कनिष्ठ तकनीकी सहायक (अभिलेखागार) को 13900 / — रूपए की नियत संविदातम्क रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति विस्तारित किए गए वर्ष / वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में 420 / — रूपए (पद के पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं, जैसे

वरिष्ट / चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

- (ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी।
- (ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और अवकाश यात्रा रियायत (एल०टी०सी०) इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा।
- (घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनिधकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य (डियूटी) से अनुपस्थिति की अविध के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।
- (ड़) संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मचारी, जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानांतरण हेतु पात्र होगा जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो ।
- (च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी / रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी / व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।
- (छ) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो तो वह उसी दर पर, जैसा नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते / दैनिक भत्ते का हकदार होगा / होगी।

		(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध, जैसे एफ.आर.एस.आर., अवकाश नियम, सामान्य भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम और आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के हकदार होंगे।
16	आरक्षण :	सेवा में नियुक्त हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय—समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों /पिछड़े वर्गों और प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण के बावत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।
17	विभागीय परीक्षा :	लागू नहीं ।
18	शिथिल करने की शिक्त :	जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, करणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्ति(यों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत शिथिल कर सकेगी।

कनिष्ठ तकनीकी सहायक (अभिलेखागार) और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेशक, भाषा कला एवं संस्कृति विभाग के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा / करार का प्ररूप।

यह कुरार श्री / श्रीमति	प्त्र
/ पुत्री श्री	निवासी
संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (रि	
गया है), और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल के म	
इसमें इसके पश्चात् 'द्वितीय पक्षकार' कहा गया ह	
को किया गया।	•

'द्वितीय पक्षकार' ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार की लागाया है और प्रथम पक्षकार ने किनष्ठ तकनीकी सहायक (अभिलेखागार) के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमित दी है:—

परन्तु वर्षानुवर्ष के आधार पर संविदा की अविध में विस्तारण / नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण, वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अविध का विस्तारण / नवीकरण किया जाएगा।

- 2 प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम.....रूपए प्रतिमास होगी।
- 3 प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है, जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया गया है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी।
- 4 संविदा पर नियुक्त किनष्ठ तकनीकी सहायक (अभिलेखागार) एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकिस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदात्मक नियुक्त किनष्ठ तकनीकी सहायक (अभिलेखागार) को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल०टी०सी०इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा।
- 5 नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्यों से अनिधकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त किनष्ठ तकनीकी सहायक (अभिलेखागार) कर्त्तव्य (डियूटि) से अनुपस्थिति की अविध के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

- 6 संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मचारी, जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो आवश्यकता के आधार पर स्थानांतरण हेतु पात्र होगा ।
- 7 चयनित अभ्यर्थी को सरकारी / रिजस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी / व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए।
- 8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते / दैनिक भत्ते का हकदार होगा / होगी।
- 9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(यों) को सामूहिक जीवन बीमा योजना के साथ—साथ ई0पी0एफ0 / जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इस पर उपर सर्वप्रथम लिखी तारीख को अपने—अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं। साक्षियों की उपस्थिति में :--

1		
	(नाम व पूरा पता)	
2		
	(नाम व पूरा पता)	(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)
	नाक्षियों की उपस्थिति में	
1		
	(नाम व पूरा पता)	
2		
(-	नाम व पूरा पता)	(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

\_\_\_\_